कर्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः– 795 FP/UK/ROAD/31858/2018 दिनॉकः देहरादून 14 सितम्बर, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार पर्यावरण,
वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून ।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत देवीधार–धनारी–फोल्ड मोटर मार्ग से सन्ताणगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण मार्ग के निर्माण हेतु 2.05 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के **EDS** दिनांक 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 2014 / 2019 / एफ0सी0 / 444 दिनांक 25–06–2020

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS** दिनांक 25–06–2020 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	बिन्दु संख्या 1–4 के प्रतिउत्तर में राज्य सरकार वन मोटर मार्ग के 1980 के पूर्व निर्मित हाने के सम्बन्ध में अभिलेख एवं नक्शा प्रस्तुत करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग वन विभगा द्वारा निर्मित एक वन मोटर मार्ग है। जिसका निर्माण लगभग वर्ष 1980 से पूर्व ही किया गया है, उक्त से सम्बन्धित अभिलेखों के क्रम में इस वन प्रभाग की कार्ययोजना (1976–77 सं 1985–86 तक) के पृष्ठ संख्या 516 मे परिशिष्ट iv (ग)-II वन विभाग के अधीन मोटर मार्ग की सूची में डुण्डा वन राजि के अन्तर्गत कमं संख्या 02 के (फोल्ड–धनारी वन मोटर मार्ग लम्बाई 5.39 किमी0)
2	साथ ही alterative मार्ग के समबन्ध में समस्त जानकारी प्रभावित वृक्षों की संख्या, मार्ग की लम्बाई, भूमि का विवरण, इत्यादि प्रस्तुत करें। यह alternative उचित प्रतीत होता है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वैकल्पिक समरेखण के 0.45 किमी0 भाग नाप भूमि 1.55 किमी0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.20 किमी0 भाग सिविल सोयम भूमि पडती है। इस समरेखण मे कुल 232 वृक्ष आ रहे है (वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण करने के पश्चात समयोजन में आ रहें वृक्षों की सूची एवं Comperative statement of alignments, part I & Part II के additional information में अपलोड कर दिया गया है।) इसके अतिरिक्त वैकल्पिक समरेखण का ग्रेड 1:15, 1:10 आ रहा है। जो IRC 52-2019 के मानको के अनुरूप नहीं है जिस कारण इस समरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना IRC CODE के अनुसार उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त इस समरेखण में मार्ग निर्माण हेतु पूरी चौडाई मे पहाड कटान का कार्य करना पडेगा, जिसमे उत्सर्जित मलवे की मात्रा प्रथम सर्वेक्षण के सापेक्ष कई गुना अधिक होगी, जो कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है।
3	Wildlfe mangement plan should have been prepared by some expert in wildlife matters atleast not below DFO in instant case the same has	SIR has been revised and uploaded at para 13 in Form A, Part II as additional information The recommendation of Wildlife Management Plan has been dropped.

	been prepared by RO further the wildlife management plan is required.	
4	The reply to point no 06 is not satisfactory as still not comments are given against para 5.5 of SIR and the recommendation is still sketchy. In addition, DFO has not done any correction in SIR except addition of few lines in para 5.4 that too in old SIR only. State Govt may do the needful in this regard.	SIR has been revised and uploaded at para 13 in Form A, part II as additional information. As per site inspection report again para 5.4 "yes" 5.5 (a) "yes" and 5.5(b) - "No" has been recommended. Proposal has been recommended for approval.
5	In the reply to point No 07 muck disposal plan duly authenticated by DFO found uplaoded but the DFO mentioned in his SIR uploaded at para 15 in part II that muck disposal plan is not appropriate. State Govt may clarify this contradiction.	SIR has been revised and uploaded at para 13 in Form A, Part II as additional information. As per SIR muck disposal plan as suggested has been annexed & uploaded as additional information in online part I by user agency.
6	Length of cutting provided in muck disposal plan does not match with the length mentioned in the land Schedule. Hence State Govt may submit the detailed calculation of muck showing the length of road, width of road and cutting and swell factor taken into account.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मक डिस्पोजल में Cutting की length को सही कर नया संशोधित Muck disposal plan को पार्ट ।। में additonal information में अपलोड कर दिया गया है।
7	In para B-2.4 of part I 0.25 ha of foret land has been proposed for muck disposal whereas 2 muck disposal sites one in forest land with an area of 0.16 ha (80mx20m) and second in naap land with an area of 0.09 ha (45mx20m) are mentioned in MDP. Thus the area of forest land proposal for muck disposal doesn't match.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि आख्या अनुसार मक डम्पिंग यार्ड हेतु संशोधित क्षेत्र 125X20 मी0 है, जिसका क्षेत्रफल 0.25 हे0 आ रहा है, आरक्षित वन भूमि में स्थित है। उक्त भू–भाग में कोई भी वृक्ष नहीं आ रहे है तथा दूसरा डम्पिंग यार्ड 45X20 मी0 का है, जो नाप भूमि मे लिया गया है आरक्षित वन भूमि में स्थित Dumping Zone का क्षेत्रफल संशोधित कर पार्ट ।। के additional information में अपलोड कर दिया गया है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

14/9/20

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी